



150

## न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.

/2016 निगरानी

निगरानी 2273-I / 2016

श्री कुवंलाल कोल पिता श्री रामसाहय  
कोल निवासी 32 कोसमघाट तहसील व  
जिला जबलपुर म.प्र.

— आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय  
जबलपुर

— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959

न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला जबलपुर प्र.क.

80/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016

के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

### निगरानी के संक्षेप में तथ्यः—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक श्री कुवंलाल पुत्र श्री रामसहय कोल आदम जनजाति का सदस्य है। तथा उसके स्वामित्व की कृषि भूमि मौजा जमुनियां प.ह.न. 53/81 रा.नि.म. खमरया स्थित भूमि सर्वे. नं. 374/2 रकवा 0.40 हे., कृषि भूमि आदिवासी से गैर आदिवासी मद में परिवर्तित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्र.क. 80/अ-21/2015-16 पर पंजी पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण जांच हेतु अनु.वि. अधि. राजस्व जबलपुर के माध्यम से तहसीलदार महोदय खमरया को जांच हेतु भेजा गया। प्रकरण पंजीवद्ध कर आपत्तीयां आहुत की गई समयावधि में कोई

न्यायालय राजस्व मण्डल, मोप्रभवालियर  
आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 2273-एक/2016 निगरानी

जिला जबलपुर

याचत तथा क्रमांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20. 7. 16	यह निगरानी कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 80/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-6-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
2/	प्रकरण का सार्वोश यह है कि ग्राम जमुनिया तहसील जबलपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 374/2 रकबा 0.400 हैक्टर (0.98एकड़) का भूमिस्वामी कुंवरलाल कोल पुत्र रामसहाय है जिसके द्वारा कलेक्टर जबलपुर को मोप्रभू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि विक्रय की माँग की गई। कलेक्टर जबलपुर ने आवेदन में वर्णित तथ्यों की जाँच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर से कराई। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार वृत्त खम्हरिया से जाँच कर प्रतिवेदन दिनांक 20.6.16 प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर जबलपुर ने अंतिम आदेश दिनांक 20-6-16 पारित करके पुर्णजाँच प्रतिवेदन की मांग की। इसी अंतिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।	
3/	निगरानीकर्ता के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
4/	निगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा बताया गया कि आवेदक ने उसके भूमिस्वामी खत्तव की भूमि स्थित ग्राम जमुनिया सर्वे क्रमांक 374/2 रकबा 0.400 है. के विक्रय की	

राजस्व  
मण्डल

(म)

प्र०क०२२७३-एक/२०१६ निगरानी

अनुमति चाही थी, विक्य अनुबंध के अनुसार प्रचलित गाईड लायन के मान से विक्य धन केता व्यारा दिया जा रहा है। भूमि विक्य के वाद केता के पास 7.190 हैक्टर भूमि शेष बचने से आजीविका का साधन है। भूमि सर्वे कमांक 374/2 रकबा 0.400 है। आवेदक के नाम वर्ष 1961 के पूर्व से होना अपर कलेक्टर के प्रकरण कमांक 41/अ-५४/६१-६२ में चकबंदी री-नम्बरिंग सूची से होना प्रमाणित है जिस पर संहिता की धारा 165 (7-ख) लागू नहीं होती है इसके वाद भी कलेक्टर व्यारा विक्य अनुमति न देने में भूल की है एंव प्रकरण को उल्झाने के लिये वार-बार जाँच में वापिस किया जा रहा है उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदक के अभिभाषक व्यारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यह सही है कि अपर कलेक्टर के प्रकरण कमांक 41/अ-५४/६१-६२ में चकबंदी री-नम्बरिंग सूची से होना वादग्रस्त भूमि वर्ष 1961 से आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर होना प्रमाणित है। आवेदक ने वादग्रस्त भूमि के विक्य का अनुबन्ध दिनेश सिंह गौर से दिनांक 4 अप्रैल 2016 को किया है एंव कलेक्टर को विक्य अनुमति आवेदन इसी दिन प्रस्तुत किया है। कलेक्टर ने आवेदन के तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी से कराई है एंव अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने अधीनस्थ अधिकारियों से जाँच कराते हुये प्रतिवेदन दिनांक 20-६-१६ प्रस्तुत कर प्रचलित गाईड लायन के मान से आवेदक को विक्य धन न मिलना प्रतिवेदन किया है जिसके कारण कलेक्टर व्यारा अंतरिम आदेश दिनांक

(M)

1/2

व्यायालय राजस्व मण्डल, मोप्र०ग्वालियर  
आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 2273-एक/2016 निगरानी

जिला जबलपुर

स्थान तथा  
क्रमांक

कार्यवाही अथवा आदेश

पक्षकारों एवं  
अभिभाषकों वे  
हस्ताक्षर

20-6-16 से वर्तमान मूल्य पर पुर्नजॉच प्रतिवेदन मांगा है। प्रकरण में सर्वप्रथम विचार योग्य बिन्दु है कि क्या वर्ष 1961 के पूर्व से आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित चली आ रही भूमि के विकास की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन है ?

1. आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य एक 2013 रानि० 8 का व्यायिक दृष्टांत है कि -

भू राजस्व संहिता 1959 (मोप्र०)-धारा 165(7-ख) में यह उल्लेख नहीं है कि भूतलक्षी प्रभावी होगी। इस धारा के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि यह भूमिस्वामी द्वारा अर्जित निहित अधिकार छीनती है तथा भूमि के विकास के विषय में कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेने के सम्बन्ध में नया दायित्व सृजित करती है या नया कर्तव्य अधिरोपित करती है। अतएव धारा भूतलक्षी प्रवर्तन होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

जो भूमिस्वामी अधिकार 1978 में दिये गये, संहिता की धारा 165(7-ख) के अंतर्गत छीने नहीं जा सकते। भूमिस्वामी को विकास करने का निहित अधिकार है उनके अधिकार संहिता की धारा 165(7-ख) के अंतःस्थापन से उन्मुक्त तथा अप्रभावित है और संहिता की धारा 158(3) की स्थिति वही रहेगी, क्योंकि यह 2-10-1992 के सँशोधन द्वारा अंतःस्थापित की गई है।

2. फुल्ला विरुद्ध नरेन्द्र सिंह तथा अन्या 2012 राजस्व निर्णय 256 उच्च व्यायालय का व्यायिक दृष्टांत है कि

भू राजस्व संहिता 1959 (मोप्र०)-धारा 165(7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व

प्र०क० २२७३-एक/२०१६ निगरानी

का पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया- उपबंध आकर्षित नहीं होते हैं। भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जब आवेदक वर्ष १९६१ के पूर्व से ग्राम जमुनिया सर्वे कमांक ३७४/२ रक्का ०.४०० है. का भूमिस्वामी दर्ज चला आ रहा है , विकर्य अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अङ्गचन नहीं है।

6/ जहाँ तक आवेदक को चालू वर्ष की गाईड लायन के मान से विकर्य प्रतिफल न मिलने का प्रश्न है ? यह ध्यान देने योग्य है कि जब उप पंजीयक के समक्ष विकर्य पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उप पंजीयक विकर्य पत्र तभी संपादित करता है जबकि चालू वर्ष की गाईड लायन से विकर्य विलेख तैयार कर प्रस्तुत किया गया हो और जब चालू वर्ष की गाईड लायन के मान से विकर्य प्रतिफल लिये जाने-दिये जाने का विकर्य विलेख में अँकन है कोई विकेता कम मूल्य प्राप्त कर अधिक मूल्य के विकर्य विलेख को हस्ताक्षरित नहीं करेगा।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक ८०/अ-२१/ २०१५-१६ में पारित अंतरिम आदेश दिनांक २०-६-२०१६ शृंखिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव आवेदक को उसके स्वातित्री की ग्राम जमुनिया सर्वे कमांक ३७४/२ रक्का ०.४०० है। के विकर्य अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उप पंजीयक विकर्य विलेख प्रस्तुत होने पर कलेक्टर के आदेश दिनांक २०-६-१६ में अंकित अनुसार गाईड लायन वर्ष १०१६-१७ के मान से विकर्य पत्र संपादित

मेरा  
नाम

(M)

XXXIX(a)BR(H)-10

न्यायालय राजस्व मण्डल, मोप्र०ग्वालियर  
आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक २२७३--एक/२०१६ निगरानी

जिला जबलपुर

संलग्न तथा  
दिनांक

कार्यवाही अथवा आदेश

पक्षकारों एवं  
अभिभाषकों के  
हस्ताक्षर

करेंगे।

- विक्रय पत्र संपादन के पूर्व उप पंजीयक सत्यापन कर लेवें कि आवेदक को गाईड लायन वर्ष १०१६-१७ के मान से विक्रय धन प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। विक्रय प्रतिफल मिलने की संतुष्टि उपरांत विक्रय पत्र संपादित किया जाय।
- इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर वादग्रस्त भूमि के विक्रय विलेख का संपादन अनिवार्य है।

  
सदरुच्य

